

**ग्राम पंचायत दोहाग देहरियां, विकास खण्ड देहरा, जिला काँगड़ा के लेखाओं का
अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन
अवधि 01.04.2014 से 31.03.2017**

1 प्रस्तावना (क) :-

ग्यारहवें वित्त आयोग की सिफारिशों के फलस्वरूप हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 118 में संशोधन होने व सयुक्त निदेशक एवं उप सचिव पंचायती राज विभाग के पत्र संख्या PCH-HC-(5)C(15)LAD/2006-12669 दिनांक 07.04.2017 द्वारा पंचायती राज संस्थाओं के अंकेक्षण का दायित्व निदेशक, स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग, हि.प्र., को सौंपे जाने के दृष्टिगत ग्राम पंचायत दोहाग देहरियां, विकास खण्ड देहरा, जिला काँगड़ा के अवधि 01.04. 2014 से 31.03.2017 के लेखाओं का अंकेक्षण कार्य, स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग द्वारा किया गया।

अंकेक्षण अवधि के दौरान ग्राम पंचायत में निम्नलिखित प्रधान व सचिव कार्यरत थे :-

प्रधान :-

- | | | |
|---|----------------------|-----------------------|
| 1 | श्रीमति स्वर्णा देवी | 1-4-2014 से 22-1-2016 |
| 2 | श्रीमति अंजना कुमारी | 23-1-2016 से लगातार |

सचिव :-

- | | | |
|---|----------------|--------------------|
| 1 | श्री चमन कुमार | 1-4-2014 से लगातार |
|---|----------------|--------------------|

(ख) गम्भीर अनियमितताओं का सार:-

ग्राम पंचायत दोहाग देहरियां के लेखाओं अवधि 01.04.14 से 31.03.17 के अंकेक्षण एवं निरीक्षण के दौरान पाई गई गम्भीर अनियमितताओं का सार निम्न प्रकार से है।

क्र०सं०	पैरा सं०	अनियमितताओं का संक्षिप्त सार	राशि (लाखों में)
1	6	गृहकर की लम्बित वसूली	0.16
2	8	अनुदान का उपयोग न करना	18.94
3	9	प्राप्त अनुदानों की राशि से अधिक व्यय	0.94
4	13	मूल्यांकन (Assessment) के बिना भुगतान करना	2.86

2 वर्तमान अंकेक्षण:-

ग्राम पंचायत दोहाग देहरियां, विकास खण्ड देहरा, जिला काँगड़ा के अवधि 1.4.14 से 31.3.17 तक के लेखाओं का प्रथम एवं वर्तमान अंकेक्षण श्री जितेन्द्र सिंह, अनुभाग अधिकारी व श्री जीवन कुमार कनिष्ठ लेखा परीक्षक द्वारा दिनांक 20-9-2017 से 23-9-2017 तक ग्राम पंचायत दोहाग देहरियां में किया गया।

लेखाओं की विस्तृत जांच हेतु आय एवं व्यय के लिए मासों का चयन निम्न प्रकार से किया गया।

वित्तीय वर्ष	आय	व्यय
2014-15	3/2015	10/2014
2015-16	3/2016	9/2015
2016-17	10/2016	3/2017

इस अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन का प्रारूपण पंचायत के नियन्त्रण अधिकारी द्वारा उपलब्ध करवाई गई सूचनाओं एवं अभिलेख के आधार पर किया गया है। उक्त पंचायत द्वारा अंकेक्षण को उपलब्ध करवाई किसी भी गलत सूचना/ अभिलेख के अपूर्ण/ गलत व उपलब्ध न होने की स्थिति में अंकेक्षण प्रतिवेदन पर होने वाले किसी भी प्रभाव हेतु स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग, हि.प्र. उत्तरदायी नहीं होगा।

3 अंकेक्षण शुल्क :-

ग्राम पंचायत दोहाग देहरियां, विकास खण्ड देहरा, जिला काँगड़ा के अवधि 1.4.2014 से 31.3.2017 तक के लेखाओं का अंकेक्षण शुल्क ₹7200 बनता है। उक्त अंकेक्षण शुल्क की राशि को रेखांकित बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से निदेशक, स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग (हि०प्र०) शिमला-9 को प्रेषित करने हेतु अंकेक्षण अध्याचना संख्या 235 /2017 दिनांक 23-9-2017 द्वारा अनुरोध किया गया।

4 वित्तीय स्थिति:-

ग्राम पंचायत दोहाग देहरियां द्वारा प्रस्तुत अभिलेख के अनुसार ग्राम पंचायत के अवधि 01.04.14 से 31.03.17 के लेखाओं की वित्तीय स्थिति निम्न प्रकार से थी :-

(1) **स्व स्रोत :-** ग्राम पंचायत दोहाग देहरियां के अवधि 01.04.14 से 31.03.17 तक की स्व स्रोतों की वित्तीय स्थिति का विवरण :-

वर्ष	अथशेष	प्राप्ति	योग	व्यय	अन्तिम शेष
2014-15	238153.00	76200	314353.00	13940.00	300413.00
2015-16	300413.00	85842.00	386255.00	137389.00	248866.00
2016-17	248866.00	101070.00	349936.00	112357.00	237579.00

(2) **अनुदान :-** ग्राम पंचायत दोहाग देहरियां के अवधि 01.04.14 से 31.03.17 तक की अनुदानों की वित्तीय स्थिति का संकलित विवरण निम्न प्रकार से है, जिसका विस्तृत विवरण संलग्न परिशिष्ट-1 में भी दिया गया है :-

वर्ष	अथशेष	प्राप्ति	योग	व्यय	अन्तिम शेष
2014-15	154267.00	3082606	3236873.00	2415265.40	821607.60
2015-16	821607.60	2427745	3249352.60	2219146.00	1030206.60
2016-17	1030206.60	2998805	4029011.60	2135113.00	1893898.60
1	रोकड़ बही खाता क पैरा 4 (1) का अन्तशेष			₹237579.00	
2	रोकड़ बही खाता ख पैरा 4 (2) का अन्तशेष			₹1893898.60	

योग ₹2131477.6

दिनांक 31-03-2017 को बैंक में जमा, हस्तगत राशि के अंत शेष का विवरण निम्नानुसार था।

क्र. सं	बैंक का नाम	खाता संख्या	राशि
1	PNB Balugaloa	244000010006111,4	22177
2	PNB Balugaloa	244000010006110,5	1736
3	PNB Balugaloa	244000010006106,2	348
4	PNB Balugaloa	2440000100061080	269
5	PNB Balugaloa	244000010006107,1	173865
6	PNB Balugaloa	244000010005276,3	40421
7	PNB Balugaloa	244000010006112,3	1702645
8	KCCB Dehra	2000800566060	60292
	PNB Balugaloa	244000010005297,6	4750
	PNB Balugaloa	244000010001710,5	13435
	PNB Balugaloa	244000010005247,1	81916
	Tolal		₹2101854
	Cash in Hand		506
	Food Coupen		29118
	Grand Total		₹2131478

5 निर्धारित बजट प्राक्कलन तैयार न करना :-

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त बजट लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 37 के अनुसार सचिव द्वारा फार्म-11 में पंचायत के आय व व्यय के प्राक्कलन तैयार करके ग्राम सभा से पारित करवाना अपेक्षित था । अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि पंचायत द्वारा अंकेक्षण अवधि के लिए पंचायत का बजट प्राक्कलन तैयार नहीं किया गया था । इस प्रकार बजट प्राक्कलन तैयार / अनुमोदित न करने के कारण पंचायत द्वारा किया गया व्यय अनियमित था । अतः बजट प्राक्कलनों को तैयार न करने के कारणों को स्पष्ट करते हुये भविष्य में नियमानुसार बजट प्राक्कलन तैयार करना सुनिश्चित किया जाये ।

6 पंचायत राजस्व (गृहकर) ₹0.16 लाख की वसूली हेतु शेष:-

पंचायत सचिव दोहाग देहरियां द्वारा उपलब्ध करवाई गई सूचना के अनुसार दिनांक 31-03-2017 तक पंचायत राजस्व गृहकर ₹15900 वसूली हेतु शेष थी ।

1 गृहकर :

वर्ष	अथशेष	मांग	योग	प्राप्ति	वसूली हेतु शेष राशि
2014-15	75	15300	15375	75	15300
2015-16	15300	15900	31200	31200	0
2016-17	0	15900	15900	0	15900

(2) .हिमाचल प्रदेश पंचायती राज [वित्त बजट लेखे संकर्म कराधान व भत्ते] नियम 2002 के नियम 33 और 77 के अनुसार फॉर्म 10 पर पंचायत के गृहकर का मांग और संग्रहण रजिस्टर तैयार करना अपेक्षित था । अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि पंचायत द्वारा अंकेक्षण अवधि के लिए पंचायत के गृहकर का मांग और संग्रहण रजिस्टर तैयार नहीं किया गया । अतः गृहकर का मांग और संग्रहण रजिस्टर तैयार न करने के कारणों को स्पष्ट करते हुए भविष्य में नियमानुसार अभिलेख तैयार करना सुनिश्चित

- किया जाए ।
- 7 **वित्तीय स्थिति के अंत शेष में दर्शाई गयी Food coupon के रूप में ₹29118 के बारे :-**

ग्राम पंचायत दोहाग देहरियां द्वारा ₹29118 के Food Coupon जो कि मजदूरों को काम के बदले अनाज के रूप में मजदूरी अदा की जानी थी के लिए प्राप्त किये गये तथा इन कूपनों को रोकड़ वही में आय पक्ष में दर्ज किया गया तथा इसकी रसीद जारी की गयी। मास 4/2014 को ग्राम पंचायत द्वारा इसे रोकड़ वही के आरम्भिक शेष में दर्शाया गया है। अब जबकि यह योजना सरकार द्वारा काफी समय पूर्व बंद कर दी गयी है और न ही ग्राम पंचायत को इन कूपनों के बदले में अनाज मिलने की कोई सम्भावना है तो इन कूपनों को रखने का कोई भी औचित्य नहीं है । अतः इन कूपनों को सरकार को वापिस किया जाए ।

- 8 **अनुदान ₹18.94 लाख का उपयोग न करना :-**

पंचायत द्वारा अनुदानों से संबन्धित उपलब्ध करवाई गई सूचना (परिशिष्ट-1) के अनुसार दिनांक 31.03.17 तक अनुदान ₹1893898 उपयोग हेतु शेष थी । ग्राम पंचायत द्वारा विभिन्न विकासात्मक कार्यों हेतु प्राप्त अनुदानों के स्वीकृति पत्र की शर्त अनुसार अनुदान राशि को विहित अवधि के दौरान व्यय न करने के कारण धन का अवरोधन होने के साथ- साथ सरकारी योजनाओं से ग्रामीणों को होने वाले लाभ से भी वंचित होना पड़ा । अतः अनुदान की राशि को विहित अवधि के दौरान व्यय न करने के कारणों को स्पष्ट करते हुये सक्षम अधिकारी से अवधि बढ़ोतरी की स्वीकृति प्राप्त करके उक्त राशि को व्यय करना सुनिश्चित किया जाये अन्यथा राशि का प्रत्यार्पण संबन्धित संस्था को किया जाये ।

- 9 **प्राप्त अनुदानों की राशि से ₹0.94 लाख का अधिक व्यय**

सचिव ग्राम पंचायत दोहाग देहरियां द्वारा उपलब्ध करवाए गये आंकड़ों तथा वित्तीय स्थिति के अनुसार MPLAD, VKVNY में दिनांक 31-03-2017 को ₹94009 की राशि ऋणात्मक दर्शाई गयी है । जोकि किसी अन्य योजना के व्यय का लेखांकन MPLAD, VKVNY में अथवा किसी अन्य योजना से MPLAD, VKVNY का भुगतान करने के फलस्वरूप है । इस चूक का नियमानुसार निराकरण सुनिश्चित करते हुए अनुपलना से अवगत करवाएं ।

VKVNY (-) ₹16020

MPLAD (-) ₹77989

योग (-) ₹94009

- 10 **मनरेगा के अन्तर्गत ₹0.14 लाख का सीमेंट प्राप्त न करना**

ग्राम पंचायत की व्यय की जाँच करने पर पाया गया कि ग्राम पंचायत द्वारा सीमेंट खरीदने के लिए HPCSC को FTO द्वारा ₹109590 अग्रिम भुगतान की गयी परन्तु HPCSC द्वारा सीमेंट आपूर्ति ₹95278 की ही की गयी तथा ₹14312 की न तो सीमेंट आपूर्ति प्राप्त की गयी और न ही HPCSC से राशि वापिस ली गयी जिसका विवरण इस प्रकार से है । अतः राशि का समायोजन शीघ्र किया जाए ।

Amount Paid		Cement received		Quantity	Amount
Date	Amount	Cash Memo No.	Date		
7-3-2017	81490	1449199	27-7-2017	197BAGS	55948
7-3-2017	28100	1663438	11-9-2017	138 BAGS	39330
TOTAL	₹109590			Total	₹95278

- 11 **IWMP के अन्तर्गत लाभार्थियों से प्राप्त होने वाले भाग ₹5590 के बारे में :-**

परियोजना निदेशक जिला जलागम विकास अभिकरण काँगड़ा स्थित धर्मशाला के पत्र क्रमांक 336-393 दिनांक 4/7/2012 के अनुसार "वाटरशेड परियोजना के लिए गांवों का चयन हेतु अनिवार्य शर्त वाटरशेड विकास निधि में लोगों द्वारा अंशदान किया जाना है। वाटरशेड विकास निधि में अंशदान केवल निजी भूमि पर निष्पादित एन आर एम कार्यों की लागत का न्यूनतम 10 प्रतिशत होगा। तथापि अनुसूचित जाति /अनुसूचित जनजाति, छोटे और सीमान्त किसानों के मामले में न्यूनतम अंशदान 5 प्रतिशत की गयी। इसके अतिरिक्त निजी भूमि पर अन्य लागत सघन कृषि प्रणाली कार्यकलापों जैसे मत्स्य पालन , बागबानी, कृषि, वानिकी, पशु पालन इत्यादि जैसे आजीविका सम्बन्धित किसानों को सीधे फायदा होता तो उनके लिए सामान्य वर्ग के किसानों का अंशदान 20 प्रतिशत तथा अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के लाभार्थियों का अंशदान 10 प्रतिशत होगा। जाँच में पाया गया कि निम्न मामलों में निजी भूमि पर निष्पादित करवाए गये वाटरशेड कार्यों के लिए जो कि पूर्ण हो चुके हैं लाभार्थियों से अंशदान ₹5590 नहीं लिया गया। अन्य मामलों की जाँच अपने सतर पर करके अंशदान की वसूली सुनिश्चित की जाए।

क्र.सं.	कार्य का नाम	राशि	5% भाग
1	निर्माण RWHT श्री रणजीत सिंह	55900	2795
2	निर्माण RWHT श्री औकार सिंह	55900	2795
	कुल योग		5590

- 12 सक्षम अधिकारी द्वारा जारी किये गये अनुदान के आदेश की प्रति /पत्र जाँच हेतु उपलब्ध न करवाना:-

ग्राम पंचायत द्वारा अंकेक्षण अवधि में प्राप्त किये गये अनुदानों के पत्रों की प्रति अंकेक्षण में जाँच हेतु उपलब्ध नहीं करवाई गयी जिसके अभाव में यह ज्ञात नहीं हो सका कि पंचायत द्वारा प्राप्त किये गये अनुदान किस उद्देश्य/कार्य विशेष के लिए प्राप्त किये गये हैं। चर्चा में बताया गया कि पंचायत में अनुदान के आदेश पत्र प्राप्त नहीं हुए हैं तथा खण्ड विकास अधिकारी कार्यालय द्वारा राशि प्राप्त होने के उपरान्त मौखिक रूप में अनुदान के प्रायोजन बारे सूचित किया जाता है जो कि अनुचित है क्योंकि लिखित रूप में अनुदान का प्रायोजन प्राप्त न होने के कारण अनुदानों के दुर्विनियोजन की संभावना से इन्कार नहीं किया जा सकता। इस प्रकरण को विशेष रूप से उच्च अधिकारियों के ध्यान में लाया जाता है।

- 13 मूल्यांकन (Assessment) के बिना ₹2.86 लाख का भुगतान करना :-

प्रधान सचिव (ग्रा० वि० एवं पं० रा०) हिमाचल प्रदेश सरकार के पत्र संख्या : एस एम् एस -17/2002- आर डी डी (जी आर एस) दिनांक 22-9-2009 के द्वारा जारी निर्देशों के अनुसार तकनीकी सहायक/कनिष्ठ अभियन्ता की मूल्यांकन (assessment) के पश्चात ही पंचायत द्वारा भुगतान किया जाएगा। परन्तु जाँच में पाया गया कि निम्न विवरण के अनुसार पंचायत द्वारा ₹285599 का भुगतान assessment के बिना किया गया। अतः इस अनियमितता बारे उचित स्पष्टिकरण प्रस्तुत करते हुए मूल्यांकन (assessment) के बिना भुगतान पर अविलम्ब रोक लगाई जाए।

बा. सं.	मास	कार्य का नाम	राशि
सामान्य रोकड़ बही			
79,80	10/2014	निर्माण कार्य कुआँ सून्का राम	16150
100	9/2015	निर्माण कार्य सामुदायिक भवन कत्यालू	1775
100/1	9/2015	निर्माण कार्य सामुदायिक भवन कत्यालू	8684
101	9/2015	निर्माण कार्य सामुदायिक भवन कत्यालू	25831
102	9/2015	निर्माण कार्य लिंक रोड बावू के घर से सुहड़ा तक	22080

108	3/2017	निर्माण कार्य सामुदायिक भवन घरू तक	9933
MGNREGA			
64	10/2014	निर्माण कार्य लिंक रोड बाबा पंजा सड़क से मलकं देवी के घर तक	2981
65	10/2014	निर्माण कार्य RWHT श्री राजेंद्र कुमार	3794
66	10/2014	निर्माण कार्य RWHT श्री राजेंद्र कुमार	4312
Nil	10/2014	निर्माण कार्य RWHT श्री राजेंद्र कुमार	3393
Nil	10/2014	निर्माण कार्य RWHT श्री राजेंद्र कुमार	3393
Nil	10/2014	निर्माण कार्य लिंक रोड बाबा पंजा सड़क से मलका देवी के घर तक	3132
Nil	10/2014	निर्माण कार्य लिंक रोड बाबा पंजा सड़क से मलका देवी के घर तक	3915
Nil	10/2014	निर्माण कार्य लिंक रोड बाबा पंजा सड़क से मलका देवी के घर तक	783
67	9/2015	निर्माण लिंक रोड NH-88 से हरिजन बस्ती तक	47045
68	9/2015	निर्माण कार्य RWHT मिलखी राम	4630
71	9/2015	निर्माण लिंक रोड से ओला पुली तक	38250
72	9/2015	निर्माण कार्य लिंक रोड बावू राम के घर से सुहड़ा तक	11016
74	9/2015	निर्माण लिंक रोड से ओला पुली तक	11664
76	9/2015	निर्माण लिंक रोड NH-88 से हरिजन बस्ती तक	7776
71	9/2015	निर्माण लिंक रोड NH-88 से हरिजन बस्ती तक	2716
72	9/2015	निर्माण लिंक रोड NH-88 से हरिजन बस्ती तक	2710
73	9/2015	निर्माण लिंक रोड NH-88 से हरिजन बस्ती तक	3523
77	9/2015	निर्माण लिंक रोड से ओला पुली तक	540
75	9/2015	निर्माण RWHT राजेंद्र कुमार	7415
61	3/2017	निर्माण RWHT महिंद्र सिंह	16875
62	3/2017	निर्माण लिंक रोड बुकनू संद से शमशान घाट तक	2500
65	3/2017	निर्माण लिंक रोड वालिया पुली से प्रेम चन्द के घर तक	4420
66	3/2017	निर्माण लिंक रोड बुकनू संद से शमशान घाट तक	1897
67	3/2017	निर्माण लिंक रोड बुकनू संद से शमशान घाट तक	3523
68	3/2017	निर्माण लिंक रोड बुकनू संद से शमशान घाट तक	3523
69	3/2017	निर्माण लिंक रोड बुकनू संद से शमशान घाट तक	2710
70	3/2017	निर्माण लिंक रोड बुकनू संद से शमशान घाट तक	2710
कुल योग			285599

14 विहित रजिस्ट्रों का रख रखाव न करना :-

हि.प्र. पंचायती राज (वित्त बजट लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 29 से 31 के अन्तर्गत पंचायत द्वारा विभिन्न रजिस्ट्रों / अभिलेखों का रख रखाव किया जाना अनिवार्य था। अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि पंचायत द्वारा निम्न रजिस्ट्रों / अभिलेखों का रख रखाव नहीं किया गया था, जो कि अनियमित व आपत्तिजनक है। अतः नियमानुसार इन अभिलेखों व रजिस्ट्रों का रख रखाव किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

क्रम	रजिस्टर/अभिलेख	फॉर्म संख्या	संदर्भित नियम
1	अस्थाई अग्रिम रजिस्टर	9	30
2	विभिन्न अनुदानों के लेजर खाते	7	29 (1)
3	मांग एवं प्राप्ति रजिस्टर	10	33 व 77 (4)
4	अनुदान रजिस्टर	21	61 (1)
5	डाक टिकट रजिस्टर	24	61 (2)
6	निर्माण कार्यों की तकनीकी स्वीकृति का रजिस्टर	31	95 (1)

अतः इन अभिलेखों का रख रखाव भविष्य हेतु नियमानुसार किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

15 प्रत्यक्ष सत्यापन :- हि.प्र. पंचायती राज (वित्त बजट लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 73 के अन्तर्गत पंचायत के भण्डार का प्रत्येक 6 माह बाद प्रत्यक्ष सत्यापन किया जाना अपेक्षित है, परन्तु अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि पंचायत द्वारा भण्डार का नियमानुसार सत्यापन नहीं किया गया है जिस बारे में स्थिति स्पष्ट की जाए तथा इस सन्दर्भ में अपेक्षित कार्यवाही अमल में लाकर अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवाया जाए।

16 लघु आपत्ति विवरणिका :- इसे अलग से जारी नहीं किया गया अपितु छोटी -2 आपत्तियों का अंकेक्षण के दौरान ही निपटारा कर दिया गया।

17 निष्कर्ष :- लेखाओं के रख रखाव में सुधार की आवश्यकता है।

हस्ता/-
(ज्ञान चन्द शर्मा)
उप निदेशक
स्थानीय लेखा परीक्षा
हिमाचल प्रदेश, शिमला-171009
फोन नं० 0177-2620881

पृष्ठांकन संख्या:- फिन (एल0ए0) एच (पंच) (15)(2)142/2017 खण्ड-1-1735-1738 दिनांक 8.3.2018 शिमला-09

प्रतिलिपि:- निम्न को सूचनार्थ/आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

- 1 निदेशक, पंचायती राज विभाग हि0प्र0, कुसुम्पटी, शिमला-171009 को पैरा संख्या 1 (ख) में वर्णित अनियमितताओं पर सम्बन्धित पंचायत सचिव को आवश्यक कार्रवाई करने के लिए निर्देश जारी करने हेतु प्रेषित है।
- 2 जिला पंचायत अधिकारी, कांगड़ा, जिला कांगड़ा, हि0प्र0
- 3 खण्ड विकास अधिकारी, विकास खण्ड देहरा, जिला कांगड़ा हि0प्र0
- 4 सचिव, ग्राम पंचायत दोहाग दोहरियां, विकास खण्ड देहरा, जिला कांगड़ा (हि0प्र0) को इस आशय के साथ प्रेषित की जाती है कि वह इस अंकेक्षण प्रतिवेदन पर उचित कार्रवाई करके सटिप्पण उतर इस विभाग को एक माह के भीतर भेजना सुनिश्चित करें।

पंजीकृत

हस्ता/-
(ज्ञान चन्द शर्मा)
उप निदेशक
स्थानीय लेखा परीक्षा
हिमाचल प्रदेश, शिमला-171009

फोन नं० ०१७७-२६२०८८१